मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि0

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
''ऊर्जा भवन'',मुख्य मार्ग क्रमांक–2, शिवाजी नगर
भोपाल–462016

दूरभाष –2553595, 2556566 Website-www.mprenewable.nic.in

ई टेण्डर

निविदा क्रमांक ऊविनि/वाहन/2020/1017 दिनाक 04/08/2020

<u>म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि0 द्वारा वाहन (टैक्सी) किराये पर लिये जाने बाबत्।</u>

1. <u>निविदा शिड्यूलः–</u>

निविदा प्रकाशन होने की तिथि	दिनांक 17.08.2020
निविदा प्रपत्र का ऑनलाईन डाउनलोडिंग	दिनांक 17.08.2020 को सांय 11:55 बजे से
निविदा प्रपत्र का ऑनलाईन जमा करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय	दिनांक 19.08.2020 को प्रातः 10.00 बजे से
निविदा प्रपत्र का ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 24.08.2020 को दोपहर 03.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र का तकनीकी प्रस्ताव खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 25.08.2020 को दोपहर 03.00 बजे
निविदा प्रपत्र का वित्तीय प्रस्ताव खोलने की संभावित तिथि एवं समय	दिनांक 25.08.2020को दोपहर 4.00 बजे

निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 200/– (रूपये दो सौ रूपये मात्र) का भुगतान ऑनलाईन नेट बैंकिंग/NEFT/RTGS द्वारा किया जाना होगा।

2. <u>धरोहर राशि</u>

2.1 निविदाकर्ता इकाई को धरोहर राशि के रूप में रूपये 20,000/–(रूपये बीस हजार रुपये मात्र) का भुगतान ऑनलाईन नेट बैंकिंग/NEFT/RTGS द्वारा किया जाना होगा।

2.2 म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. में पहले से जमा धरोहर राशि अथवा अन्य कोई राशि अथवा किसी देयक के विरूद्ध राशि को इस निविदा की धरोहर राशि के रूप में मान्य करने के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

2.3 निविदाकर्ता इकाई को उनके द्वारा दिये गये ऑफर को वापिस लेने अथवा उसमें परिवर्तन करने या शर्तो तथा दशाओं में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। यदि न्यूनतम दर पाई जाने वाली निविदाकर्ता इकाई निगम के साथ अनुबंध नहीं करती है तो इसकी धरोहर राशि रूपये 20,000/–(रूपये बीस हजार रुपये मात्र) जब्त कर ली जावेगी।

2.4 धरोहर राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नही होगा।

3. <u>निविदाकर्ता इकाई की पात्रतायें (Eligibility)</u>

3.1 निविदाकर्ता इकाई का वैध जीएसटी नम्बर एवं स्थाई आयकर लेखा संख्या होना अनिवार्य है, जिसे निविदा के साथ अपलोड किया जाना अति आवश्यक है। वैध दस्तावेज अपलोड न होने की स्थिति में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

3.2 निविदाकर्ता इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों का कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेन्स होना अनिवार्य है।

3.3 निगम को दिये जाने वाले वाहन का टैक्सी कोटे में पंजीयन होना अनिवार्य है।

3.4 निविदाकर्ता इकाई को कम से कम पांच वर्ष का शासकीय कार्यालय (निगम/मण्डल/अर्द्ध शासकीय कार्यालय आदि) में मासिक दरों पर वाहन किराये पर उपलब्ध कराने का अनुभव होना अनिवार्य है, तत्संबंधी प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड करें।

3.5 निविदाकर्ता इकाई का भोपाल में स्थानीय कार्यालय होना अनिवार्य हैं।

4. निविदा का तैयार किया जाना तथा अपलोड किया जानाः–

4.1 निविदाकर्ता इकाई की अर्हताओं से संबंधित स्व सत्यापित (सील एवं हस्ताक्षरयुक्त) दस्तावेजों का अपलोड किया जाना अनिवार्य है। अनुक्रमांक 1 में उल्लेखित निविदा का मूल्य रूपये 200/– तथा अनुक्रमांक 2 में उल्लेखित धरोहर राशि रू. 20,000/–(रूपये बीस हजार रुपये मात्र)) के नेट बैंकिंग/NEFT अथवा RTGS किये जाने का प्रमाण निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

4.2 दरों को अनुसूची–3 में भरा जावे, इसे प्राइस बिड के रूप में मान्य किया जावेगा।

4.3 सर्वप्रथम निविदाकर्ताओं की तकनीकी बिड खोली जायेगी तथा उनकी अर्हताओं का तथा तकनीकी बिड के अन्य कागजातों का परीक्षण किया जायेगा। प्राइस बिड केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं की खोली जायेगी, जो तकनीकी बिड में सफल होगें।

5. निविदा स्वीकार करने का अधिकार

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि. को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकार अथवा आंशिक रूप से स्वीकार कर सकेगें। प्रबंध संचालक, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी निविदाकर्ताओं पर बंधनकारी होगा।

6. वाहन किराये पर लेने हेतु अनुबंध की शर्ते

6.1 निविदा के माध्यम से वाहन न्यूनतम (टैक्सी) किराये पर लिये जाने हेतु दरों को मानकीकृत किया जावेगा जिसमें प्राप्त न्यूनतम दर मानकीकृत की जावेगी। निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर जो मानकीकृत की गई है पर आवश्यक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता का होगा।

6.2 कार्यादेश जारी करने से पूर्व न्यूनतम दर प्राप्त इकाई को धरोहर राशि रू. 20,000/–(रूपये बीस हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट (राष्ट्रीयकृत बैंक) जो म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. के नाम से भोपाल में देय होगा जमा किया जाना होगा।

6.3 निविदा में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली इकाई अगर निगम की आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने में सक्षम नही होती है अथवा निविदा में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली

इकाई की सेवायें संतोषजनक न होने की स्थिति में निगम निविदा में सम्मिलित होने वाली अन्य निविदाकर्ताओं से न्यूनतम मानकीकृत दरों पर निविदा की शर्तोनुसार वाहन किराये पर लेने के लिये स्वतंत्र होगा।

6.4 निविदा प्राप्त इकाई को वाहन की उपलब्धता दो घन्टे की समयावधि में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।

6.5 भ्रमण के दौरान किसी भी प्रकार के टोल टैक्स एवं पार्किंग शुल्क का भुगतान निगम द्वारा किया जाएगा।

6.6 निविदा में दी गई दरें पूर्ण अनुबंधित अवधि के लिए मान्य होगी एवं इस दौरान ईंधन अथवा किसी अन्य टैक्स में बढ़ोतरी होने पर निगम द्वारा दरों में कोई बढोतरी मान्य नहीं की जावेगी।

6.7 वाहन का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन टैक्सी कोटें में होना अनिवार्य है तथा मध्यप्रदेश में कही भी आने–जाने का परमिट हो।

6.8 वाहन किराये की दरें समस्त करों सहित, जिसमें ईधन तथा समस्त टैक्स आदि शामिल हो।

6.9 वाहन चालक की व्यवस्था ट्रेवल एजेंसी द्वारा की जावेगी तथा वाहन चालक का वेतन भत्ता व अन्य खर्चे एजेंसी द्वारा प्रदाय किये जावेगें।

6.10 दरें न्यूनतम सेगमेंट के ए.सी. वाहनों हेतु चाहे गये हैं।

6.11 निविदाकर्ता इकाई के वाहन चालक के पास वैध कमर्शियल लायसेंस एवं पहचान पत्र होना अनिवार्य है।

6.12 वाहन एवं वाहन चालक का बीमा होना अनिवार्य है।

6.13 वाहन चालक की न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा वह मेडिकली फिट होना चाहिये।

6.14 वाहन उपयुक्त न होने पर निगम द्वारा चाहे जाने पर वाहन बदला जाना होगा।

6.15 वाहन चलाते समय वाहन चालक सफेद वर्दी में होना चाहिए। वाहन चालक उपयुक्त न होने पर अथवा उसका व्यवहार ठीक न होने पर निविदाकर्ता इकाई द्वारा उसे बदला जायेगा।

6.16 वाहनों के मूल कागजात रजिस्ट्रेशन, बीमा टैक्सी कोटे में पंजीयन एवं फिटनेस आदि निविदाकर्ता इकाई द्वारा निगम को प्रस्तुत कर अवलोकित कराये जायेगें।

6.17 भोपाल नगर निगम सीमा के बाहर प्रवास में रात्रि विश्राम (हाल्टिंग चार्जेस) हेतु रूपये 300/–(रू. तीन सौ मात्र) अतिरिक्त निगम द्वारा दिये जायेगें।

6.18 इकाई द्वारा अनुबंध का किसी भी प्रकार उल्लंघन करने से निगम को हुई हानि की वसूली इकाई से वसूल की जावेगी। यह वसूली इकाई द्वारा प्रस्तुत देयकों, धरोहर राशि अथवा इकाई को देय अन्य किसी राशि में से की जावेगी।

6.19 म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. के अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके करीबी रिश्तेदार/संबंधी इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।

6.20 अनुबंधित इकाई जिसे निगम द्वारा कार्य दिया गया है, किसी अन्य इकाई/व्यक्ति को कार्य नहीं दे सकती।

6.21 निविदाकर्ता इकाई द्वारा प्रपत्रों में अंकित किया गया पता ही अनुबंध एवं आरबिट्रेशन आदि के समस्त उद्देश्यों हेतु मान्य होगा, जब तक कि इकाई द्वारा विधिवत कोई नया पता म.प्र. ऊर्जा विकास निगम ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल को पंजीकृत पावती डाक से सूचित नहीं किया जाता है।

6.22 निविदा अहस्तांतरणीय है।

6.23 कार्यादेश के आधार पर निगम द्वारा कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। किसी कमर्शियल बैंक/संस्था से लोन हेतु निगम इकाई की अनुशंसा नहीं करेगा।

6.24 निविदा में प्राप्त योग्य प्रस्ताव वाली इकाइयों से निगम एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध निष्पादित करेगा एवं इस अवधि में निगम आवश्यकतानुसार वाहन को किराये पर लेगा। एक वर्ष के अनुबंध की अवधि निविदाकर्ता इकाई एवं म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. की आपसी सहमति से अधिकतम एक वर्ष – वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष अतिरिक्त बढ़ाई जा सकेगी। निर्धारित अवधि के पूर्व अनुबंध को किसी भी समय प्रबंध संचालक म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

6.25 वाहन का पंजीयन वर्ष 2019 या उसके बाद का होना चाहिये एवं वाहन 35,000 किलोमीटर से अधिक चला नहीं होना चाहिए।

6.26 किराये का वाहन खराब होने पर उस पर हुए व्ययों को निगम वहन नहीं करेगा।

6.27 वाहन के टायर ट्यूब अच्छी कंडीशन के तथा माइलोमीटर हमेशा और ठीक हालत में होना अनिवार्य है।

6.28 किराये पर लिये गये वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार की दुर्घटना, तोड–फोड होने पर वाहन प्रदायकर्ता इकाई उसके लिये उत्तरदायी होगी एवं समस्त खर्चे का वहन वाहन प्रदायकर्ता इकाई को करना होगा यदि किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये जाते हे तो आदेश के पालन की संपूर्ण जवाबदारी भी वाहन प्रदायकर्ता इकाई की होगी।

6.29 वाहन चालक की उपस्थिति एवं वाहन के रखरखाव (मरम्मत) की जिम्मेदारी ट्रेवल एजेंसी की होगी।

6.30 वाहन चालक को वाहन की डयूटी स्लिप अपने साथ रखना अनिवार्य होगा। वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी से वाहन की मीटर रीडिंग का, प्रतिदिन की गई यात्रा के अनुसार, प्रमाणीकरण डयूटी स्लिप में कराना होगा। देयक (उपयोगकर्ता

अधिकारी से सत्यापित) प्रस्तुत करते समय डयूटी स्लिप की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6.31 वाहन की डयूटी स्लिप के प्रमाणीकरण के आधार पर ही वाहन के देयक का भुगतान किया जावेगा। डयूटी स्लिप में यात्रा/डयूटी प्रारम्भ करने का समय और माइलोमीटर की रिडिंग तथा यात्रा/डयूटी समाप्त का समय एवं माईलोमीटर रिडिंग अंकित होना चाहिये एवं वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा उक्त डयूटी स्लिप सत्यापित होना आवश्यक है।

6.32 किराये पर लिये गये वाहन की समयावधि में वृद्धि एवं कटौती तथा वाहन सेवानिरस्त करने के समस्त अधिकार प्रबंध संचालक म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. भोपाल के रहेंगे।

6.33 यात्रा के दौरान वाहन दुर्गम स्थानों पर भी एवं मध्य प्रदेश में कहीं भी ले जाया जावेगा।

6.34 निगम (संबंधित अधिकारी) को निर्धारित समय व स्थान पर वाहन प्रदान करना अनिवार्य होगा। प्रदाय न किये जाने पर अधिकतम तीन नोटिस दिये जावेगें। उसके बाद पुनरावृत्ति होने पर वाहन प्रदायकर्ता इकाई द्वारा जमा धरोहर राशि निगम द्वारा राजसात कर ली जावेगी तथा अनुबंध समय सीमा के पूर्व तत्काल निरस्त किया जावेगा।

6.35 माइलोमीटर में गड़बड़ी या हेराफेरी या वाहन चालक द्वारा सड़क मार्ग हेतु निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाने की दशा में सड़क मार्ग की निर्धारित दूरी अनुसार दूरी मान्य की जावेगी।

6.36 म्यूनिसिपल एवं अन्य टैक्स जो शासन, स्थानीय प्रशासन द्वारा लागू हैं/किये जायेगे वह वाहन प्रदायकर्ता इकाई को वहन करने होगें।

6.37 वाहन हेतु दरों में न्यूनतम सेगमेंट के एसी वाहन हेतु ईंधन व्यय, समस्त कर, वाहन चालक सहित एवं अन्य दायित्वों सहित इत्यादि शामिल होना चाहिए।

6.38 वाहन चालक के पास अनिवार्यतः कार्यशील अवस्था में मोबाइल कनेक्शन होना चाहिए।

7. आर्बीट्रेशन

अनुबंध के क्रियान्वयन में विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. आर्बीट्रेटर होंगे तथा उनका निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

8. न्यायायिक क्षेत्रः

भोपाल जिला न्यायालय न्यायायिक क्षेत्र होगा।

9. वैधानिक कटौतियॉः

इकाई के देयक में से नियमानुसार टी.डी.एस. तथा अन्य वैधानिक कटौतियाँ निगम द्वारा की जाकर शुद्ध राशि का भुगतान इकाई के एकाउंट में हस्तांतरण किया जावेगा।

अभिवचन

1. मैं/हम अभिवचन करते है कि मैने/हमने निविदा की शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा निविदा में उल्लेखित कार्य को समझ लिया है।
2. मैं/यह अभिवचन करते हैं कि हमारा कोई निकट संबंधी म.प्र. ऊर्जा विकास निगम में कार्यरत नहीं है।
3. हम यह भी अभिवचन करते है कि इस निविदा में दी गई जानकारियाँ सत्य/ सही है तथा इसके लिए मैं/हम जिम्मेदार है।
4. हम यह भी अभिवचन करते है कि किसी भी शासकीय अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल आदि द्वारा इस कार्य हेतु हमें ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

दिनांकः

अनुसूची–1

निविदा हेतु पात्र इकाइयों की चेक लिस्ट

	हाँ	नहीं	वांछित दस्तावेज (अपलोड करें)
निविदाकर्ता इकाई के जीएसटी क्रमांक की प्रति			
इकाई के पेन नंबर की प्रति			
शासकीय कार्यालय में वाहन किराये पर उपलब्ध कराने के अनुभव का प्रमाण पत्र			
इकाई का स्थानीय कार्यालय भोपाल में होने का प्रमाण पत्र			
निविदा दस्तावेज का मूल्य रूपये 200/–(रूपये दो सौ रूपये मात्र) एवं धरोहर राशि रूपये 20,000/–(रूपये बीस हजार रुपये मात्र) का भुगतान ऑनलाईन नेट बैंकिंग/NEFT/RTGS का प्रमाण			

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

<u>अनुसूची–2</u>

<u>निविदाकर्ता के संबंध में जानकारी</u>
<u>प्राईवेट वाहन (टैक्सी) किराए पर लिए जाने बाबत् निविदा</u>

1. निविदाकर्ता का नाम : ....
2. निविदाकर्ता का पता (मय दूरभाष एवं मोबाईल नं. के)
   ....
   ....
   ....
3. गैरिज का दूरभाष क्रमांक एवं मोबाईल नं.
   ....

4. निविदाकर्ता इकाई का प्रकारः
   (जैसे–व्यक्ति या पार्टनरशिप फर्म या कंपनी)
   ....

5. (अ) निविदाकर्ता का पेन क्रमांक : ....
   (अपलोड करें)
   (ब) निविदाकर्ता का जीएसटी क्रमांक : ....
   (अपलोड करें)
6. निविदा के संबंध में अन्य कोई सूचना जो निविदाकर्ता इकाई के मत में महत्वपूर्ण हो।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

दिनांकः / /2020

अनुसूची–3
वाहन किराये पर लेने हेतु दर पत्रक

इकाई का नाम : ....

इकाई का जीएसटी नम्बर : ....

इकाई का पेन नंबर : ....

न्यूनतम सेगमेंट के ए.सी. वाहन का प्रतिदिन किराया जिसमें स्थानिय/250 कि.मी. प्रतिदिन चलने हेतु ईंधन, वाहन का रखरखाव, वाहन का रोड टैक्स, वाहन का बीमा एवं वाहन चालक का वेतन, सभी कर एवं अन्य सभी व्यय सम्मिलित हैं।

क्र.	वाहन का नाम	वाहनका प्रतिदिन किराया जिसमें 250कि.मी. चलने का किराया सम्मिलित हो (रूपये में)	250 कि.मी प्रतिदिन से अधिक चलने पर प्रति अतिरिक्त किलोमीटर की दर से (रूपये में)	वाहन का प्रतिदिन किराया (स्थानिय) जिसमें 08 घन्टे/ 80 कि.मी. चलने का किराया सम्मिलित हो (रूपये में)	80 कि.मी प्रतिदिन (स्थानिय) से अधिक चलने पर प्रति अतिरिक्त किलोमीटर की दर से (रूपये में)
01	न्यूनतम 1100 सीसी डीजल/पेट्रोल सिडान	अंको में– शब्दों में –	अंको में– शब्दों में –	अंको में– शब्दों में –	अंको में– शब्दों में –
02	न्यूनतम 2500 सीसी डीजल/ पेट्रोल एसयूवी (स्कार्पियों)	अंको में– शब्दों में –	अंको में– शब्दों में –	अंको में– शब्दों में –	अंको में– शब्दों में –
03	ईनोवा	अंको में– शब्दों में –	अंको में– शब्दों में –	अंको में– शब्दों में –	अंको में– शब्दों में –

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

अनुसूची–4

दरों का मूल्यांकन प्रपत्र

दरों का मूल्यांकन :– न्यूनतम दरों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जावेगाः

क्र.	कार्य	दर रूपये में	कुल मूल्यांकित दर रूपये में
01	250 कि.मी. तक चलने हेतु वाहन की दरें	रूपये X	(X)
	250 कि.मी. के पश्चात् अनुमानित अतिरिक्त किलोमीटर (औसत 600 कि.मी.) चलने पर	रूपये Y प्रति किलोमीटर	(Y*600)
02	80 कि.मी. तक चलने हेतु वाहन की दरें	रूपये X	(X)
	80 कि.मी. के पश्चात् अनुमानित अतिरिक्त किलोमीटर (औसत 200 कि.मी.) चलने पर	रूपये Y प्रति किलोमीटर	(Y*200)

01. कुल मूल्यांकित दर = X+Y*600 = ...

02. कुल मूल्यांकित दर = X+Y*200 = ...

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

दिनांकः

****